ट्रंप ने लापता पत्रकार के मरने की आशंका जताई, सऊदी को फटकार

वाशिंगटन, 19 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वास्तव में ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के लापता पत्रकार जमाल खशोगी मर चुके हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकार के लापता होने को लेकर पैदा हुए वैश्विक आक्रोश को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया सख्त करते हुए कहा कि अगर इसमें सऊदी अरब का हाथ हुआ तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप का यह बयान सऊदी अरब व तुर्की के दौरे से लौटे विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ द्वारा जांच की जानकारी देने के बाद आया है।

इस महीने की शुरुआत में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के दूतावास में प्रवेश करने के बाद से लापता हुए खशोगी के संबंध में आशंका है कि दूतावास के भीतर ही उनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से विश्व भर में और उससे भी ज्यादा अमेरिका में रोष है। खशोगी अमेरिका के स्थायी निवासी थे और 'वाशिंगटन पोस्ट' अखबार के लिए काम कर रहे थे।

कहा, अगर इसमें सऊदी अरब का हाथ हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

एक अभियान रैली के लिए मोंटाना रवाना होने के दौरान उन्होंने ज्वाइंट फोर्स बेस एंड्र्यूज में संवाददाताओं से कहा, 'मुझे निश्चित तौर पर ऐसा ही लगता है। यह बेहद दुखद है।' तुर्की जांचकर्ताओं ने स्थानीय और अमेरिकी मीडिया से कहा है कि दूतावास के भीतर खशोगी की बर्बरता से हत्या कर दी गई। सऊदी अरब के जिम्मेदार पाए जाने पर उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे यह पूछे जाने पर ट्रंप ने जवाब दिया, 'ये बेहद गंभीर होंगे। यह बुरा, बहुत बुरा है। लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है।' ट्रंप ने कहा, 'हम कुछ जांचों व परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास बहुत जल्द परिणाम होंगे और मुझे लगता है कि मैं बयान देने वाला हूं और बहुत सख्त बयान देने वाला हूं। लेकिन हम तीन अलग-अलग जांचों का इंतजार कर रहे हैं और हम बहुत जल्द इसकी तह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे।' ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान पोम्पिओ ने सलाह दी थी कि सऊदी अरब को जांच पूरी करने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। पोम्पिओ ने कहा, 'हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि खशोगी के संबंध में इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने भी मुझे स्पष्ट किया है कि वह खशोगी के लापता होने की गंभीरता को समझते हैं।' उन्होंने कहा कि सऊदी नेतृत्व ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह मामले की गहन जांच करेंगे। पोम्पिओ के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने खशोगी की गुमशुदगी से संबंधित न तो कोई टेप सुनी है और न ही कोई ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है। यह बयान एबीसी न्यूज के उस दावे के बाद आया जिसमें पोम्पिओ के अंकारा में तुर्की के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने की बात कही गई। हीथर नोर्ट ने कहा, 'विदेश मंत्री पोम्पिओ ने जमाल खशोगी की गुमशुदगी ना तो कोई टेप सुना और ना ही कोई ट्रांसक्रिप्ट देखी।' इससे एक दिन पहले, पोम्पिओ ने इस मुद्दे पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक दिन पहले पत्रकारों से कहा, 'मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है।' पोम्पिओ के साथ मुलाकात के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक साक्षात्कार में बताया कि कई सूत्रों ने खशोगी की हत्या किए जाने की बात कही है।

पाक को 'ग्रे' सूची से बाहर करने के लिए एफएटीएफ की रपट तैयार

इस्लामाबाद, 19 अक्तूबर (भाषा)।

आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन को रोकने के लिए पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों के आकलन के लिए यहां पहुंची वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की टीम ने अगले साल सितंबर से इस्लामाबाद को ग्रे सूची से बाहर करने के लिए 40 सिफारिशों के साथ एक रपट तैयार की है। शुक्रवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई।

फरवरी में एफएटीएफ ने अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आइसीआरजी) के तहत निगरानी के लिए पाकिस्तान को नामित किए जाने को मंजूरी दी थी। आइसीआरजी को ग्रे सूची के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में एफएटीएफ की ग्रे सूची में मौजूद पाकिस्तान हाल के दिनों में उन देशों की सूची में शामिल किए जाने से बचने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जो पेरिस स्थित एफएटीएफ के धनशोधन रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों की (सूची) है।

अधिकारियों को भय है कि इस सूची में पाकिस्तान को शामिल किए जाने से उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा। एफएटीएफ के एशिया-प्रशांत समूह (एपीजी) की नौ सदस्यीय टीम धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने जैसी समस्या से निपटने के पाकिस्तान के उपायों की समीक्षा करने के लिए आठ अक्तूबर को यहां पहुंची थी। पाकिस्तान ने जून में ये कदम उठाने का वादा किया था। 'डॉन' समाचारपत्र की खबर के मुताबिक एपीजी ने हितधारकों से 11 दिन की बातचीत के दौरान मौजूदा कानूनी और संस्थागत रूपरेखा के आकलन के बाद गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में उपायों का सुझाव दिया। इन बैठकों की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि एग्जिट रिपोर्ट शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर सरकार को सौंपी जाएगी। वैश्विक विशेषज्ञ पाकिस्तान में शुक्रवार तक ही हैं।

नियमों के पालन का सवाल

पाकिस्तान हाल के दिनों में उन देशों की सूची में शामिल किए जाने से बचने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जो पेरिस स्थित एफएटीएफ के धनशोधन रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों की (सूची) है। जिसे ग्रे सूची के नाम से जाना जाता है।

अधिकारियों को भय है कि इस सूची में पाकिस्तान को शामिल किए जाने से उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा।

हमले के बाद कंधार प्रांत में संसदीय चुनाव टले

काबुल, 19 अक्तूबर (एएफपी)।

अफगानिस्तान ने कंधार प्रांत में अमेरिका-अफगान सुरक्षा बैठक को निशाना बना कर किए गए एक आतंकवादी हमले में पुलिस प्रमुख के मारे जाने के बाद प्रांत में संसदीय चुनाव शुक्रवार को टाल दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता ने कहा, शनिवार को होने जा रहे संसदीय चुनाव एक हफ्ते के लिए टाला जा रहा है।

गुरुवार को यहां एक बंदूकधारी ने अमेरिका-अफगान सुरक्षा बैठक को निशाना बना कर हमला किया था

उन्होंने कहा, स्वतंत्र चुनाव आयोग नई तारीखों की घोषणा करेगा। यहां सुरक्षा बलों की पोशाक में गुरुवार को एक बंदूकधारी ने अमेरिका-अफगान सुरक्षा बैठक को निशाना बना कर हमला किया था। इस हमले में अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर बाल-बाल बच गए, लेकिन कंधार के पुलिस प्रमुख जनरल अब्दुल रजीक मारे गए। साथ ही, प्रांतीय खुफिया इकाई के प्रमुख और एक अफगान पत्रकार भी इस हमले में मारे गए। वहीं, 13 अन्य लोग घायल हो गए। इस चुनाव में तीन साल से अधिक की देर हो चुकी है और तालिबान के हमले के बाद मतदान फीसद कम रहने की आंशका जताई जा रही है।

संसदीय चुनाव के तहत निचले सदन की 249 सीटों के लिए 2,500 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन चुनावों को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अहम परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। यह नवंबर में जिनिवा में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक से पहले एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में अफगानिस्तान पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति अपनी प्रगति दिखाने का दबाव होगा।

अफगान हमले से कंधार की सुरक्षा स्थिति नहीं बदलेगी : मैटिस

सिंगापुर, 19 अक्तूबर (एएफपी)।

अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अफगान अधिकारी की हत्या से कंधार प्रांत में सुरक्षा स्थिति नहीं बदलेगी। अशांत दक्षिणी प्रांत में बृहस्पतिवार को हुए इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली जिसमें तालिबान विरोधी दबंग अधिकारी व पुलिस प्रमुख जनरल अब्दुल रजीक की मौत हो गई। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक को लक्ष्य बनाकर कंधार शहर के एक सरकारी परिसर में किए गए इस हमले में कम से कम दो अन्य लोग भी मारे गए हैं। अमेरिका व नाटो बलों के शीर्ष कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी इस बैठक में मौजूद थे जो इस हमले में घायल हो गए। मैटिस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रजीक की मौत से कंधार में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव आएगा। सिंगापुर में सुरक्षा शिखर वार्ता से इतर मैटिस ने संवाददाताओं से कहा, 'मैंने उनके साथ के अधिकारियों को देखा है।

ट्रंप ने रिपोर्टर के साथ मारपीट करने वाले सांसद की तारीफ की

वाशिंगटन, 19 अक्तूबर (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्रकार से साथ मारपीट करने वाले अमेरिकी सांसद की बृहस्पतिवार को प्रशंसा की। सांसद ग्रेग गियानफोर्ट को खराब आचरण के लिए छह महीने की सजा हुई थी। सजा को तत्काल लागू नहीं किया जा रहा है। उन्हें 40 घंटे की सामुदायिक सेवा करने व 385 डॉलर का जुर्माना देने के लिए कहा गया था।

ट्रंप की मोंटाना में एक रैली में यह टिप्पणी तब सामने आई जब पत्रकार जमाल खशोगी की गुमशुदगी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है। रैली में ट्रंप ने लोगों से गियानफोर्ट के लिए वोट देने की अपील करते हुए उन्हें 'मोंटाना का अद्‌भुत नेता' और 'कांग्रेस में सबसे सम्मानित व्यक्ति' बताया। राष्ट्रपति ने द गार्जियन के रिपोर्टर बेन जैकब्स पर गियानफोर्ट के हमले का जिक्र करते हुए कहा, 'खैर, उनसे कभी ना उलझना।

2017 में 50,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता ली

वाशिंगटन, 19 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका ने 50,000 से ज्यादा भारतीयों को 2017 में अमेरिकी नागरिकता प्रदान की है जो 2016 के मुकाबले चार हजार ज्यादा है। आंतरिक सुरक्षा विभाग ने अपनी हालिया आव्रजन रिपोर्ट में कहा है कि 2017 में 50,802 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता स्वीकार की। यह संख्या 2016 में नागरिकता लेने वाले 46,188 भारतीयों के मुकाबले चार हजार ज्यादा है। जबकि 2015 के मुकाबले अमेरिकी नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या में आठ हजार का इजाफा हुआ है। 2015 में 42,213 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता ली थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में कुल 7,07,265 विदेशी नागरिकों ने अमेरिकी नागरिकता स्वीकार की। उसमें कहा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों में से सबसे ज्यादा करीब 12,000 लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं।

कैथोलिक चर्च उत्पीड़न मामले में संघीय जांच शुरू

न्यूयार्क, 19 अक्तूबर (एएफपी)।

अमेरिका ने कैथोलिक पादरियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न मामले में पेनसिल्वेनिया के डायोसिस को समन जारी कर पहली बार इस संबंध में संघीय जांच शुरू कर दी है। लंबे समय तक हुए इन यौन उत्पीड़न के मामलों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो महीने बाद यह कार्रवाई हुई है।

फिलाडेल्फिया आर्चडायोसिस ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर पुष्टि की उसे, 'संघीय ग्रांड जूरी की ओर से जारी एक समन प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है।' उसने कहा, 'आर्चडायोसिस इस संबंध में अमेरिकी न्याय मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा।' पश्चिमी पेनसिल्वेनिया में ग्रीन्सबर्ग डायोसिस ने भी पुष्टि की है कि उसे समन जारी किया गया है जो ग्रांड जूरी रिपोर्ट में वर्णित किए गए भयावह दुराचार को ध्यान में रखते हुए बिलकुल भी चौंकाने वाला नहीं है।

डायोसिस ने कहा, 'पीड़ित, पादरी और लोग इस बात के सबूत देखना चाहते हैं कि प्रत्येक डायोसिस ने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक, निर्णायक एवं प्रभावी कार्रवाई की है।' राज्य के छह अन्य डायोसिस से तत्काल टिप्पणी नहीं हासिल की जा सकी लेकिन अमेरिकी मीडिया ने खबर दी है कि पांच ने पुष्टि की है कि उन्हें संघीय समन मिले हैं और वे जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

भारतीय अमेरिकी महिला को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार

ह्यूस्टन, 19 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को ह्यूस्टन में मानव तस्करी से लड़ने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ह्यूस्टन के मेयर सिलवेस्टर टर्नर की मानव तस्करी पर विशेष सलाहकर मीनल पटेल डेविस को गत सप्ताह वाइट हाउस में एक कार्यक्रम में मानव तस्करी से लड़ने के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे। पुरस्कार पाने के बाद डेविस ने कहा, 'यह अविश्वसनीय है।' यह इस क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने कहा, 'मेरे माता-पिता भारत से यहां आए थे। मैं अमेरिका में जन्म लेने वाली अपने परिवार की पहली सदस्य थी तो कई साल पहले मेयर कार्यालय से अब वाइट हाउस तक आना अविश्वसनीय है।' जुलाई 2015 में नियुक्त डेविस ने अमेरिका के चौथे सबसे बड़े शहर में नीतिगत स्तर पर और व्यवस्था में बदलाव लाकर मानव तस्करी से निपटने पर स्थानीय स्तर पर बड़ा योगदान दिया। डेविस ने कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से एमबीए और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है।

मलेशिया में विपक्ष के नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप तय

कुआलालंपुर, 19 अक्तूबर (एएफपी)।

मलेशिया में विपक्ष के नेता पर 2.6 करोड़ डॉलर के भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को 45 आरोप लगाए गए। इस साल हुए ऐतिहासिक चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद यह उनकी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है। घोटालों से घिरे पूर्व नेता नजीब रज्जाक के सहयोगी और पूर्व उप प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी पर सरकारी ठेके देने के लिए रिश्वत लेने और धन शोधन के आरोप हैं। हमीदी (65) ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया और वह मुकदमे का सामना करेंगे।

RELIGARE Values that bind

रेलिगेअर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
CIN: L74899DL1984PLC146935
फोन: +91-11-46272400, फैक्स न: +91-11-46272447
वेबसाइट: www.religare.com, ई-मेल: Investorservices@religare.com

पोस्टल बैलेट के परिणाम

पोस्टल बैलेट सूचना तिथि 06 सितम्बर, 2018 को डाक मतपत्र नोटिस के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110, इसके तहत बनाए गए नियमों और जांचकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर पढ़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप डाक मतपत्र को गुरूवार, 18 अक्टूबर, 2018 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया गया था। शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। पोस्टल बैलेट परिणाम का सारांश इस प्रकार है:

प्रमोटर और प्रमोटर के पुन: वर्गीकरण की मंजूरी के लिए सामान्य संकल्प सार्वजनिक शेयरधारक क्षेणी में समूह

विवरण	वैध शेयरों की संखा			प्रतिशत
	पोस्टल-बैलेट	ई-वोट्स	कुल	
सहमति	शून्य	8,68,30,371	8,68,30,371	95.76%
असहमति	शून्य	38,44,465	38,44,465	4.24%
कुल	शून्य	9,06,74,836	9,06,74,836	100%

तदनुसार पोस्टल बैलेट सूचना तिथि 06 सितम्बर, 2018 में निर्दिष्ट प्रस्ताव को वांछित बहुमत के साथ सदस्यों द्वारा गुरूवार, 18 अक्टूबर, 2018 स्वीकृत कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से
रेलिगेअर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रीना जायरा
कम्पनी सचिव

तिथि : 20 अक्टूबर, 2018
स्थान : नई दिल्ली

एसटीसी STC

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

(भारत सरकार का एक उद्यम)
कॉर्पोरेट पहचान सं. L74899DL1956GOI002674
पंजीकृत कार्यालयः जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
टेलीफोनः 011-23313177, फैक्सः 011-23701123, 23701191
ई-मेलः co@stclimited.co.in, cs@stclimited.co.in, वेबसाइटः www.stclimited.co.in

वार्षिक आम बैठक (स्थगित), ई-वोटिंग और बुकक्लोजर तिथि की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक जो 26 सितंबर, 2018 से अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी थी, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 में 13 नवंबर, 2018 को अपराह्न 5:00 बजे आयोजित की जाएगी। स्थगित वार्षिक आम बैठक की सूचना, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के सदस्यों को भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी प्रतिभूति प्रतिभागी (डीपी) या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरएंडटीए) के पास अद्यतन/पंजीकृत हैं और कंपनी के अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भौतिक रूप से भेजी गई है और यह वेबसाइट (http://www.stclimited.co.in) और एनएसडीएल (http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है। वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों और अन्य जो इसे प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, को 62वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ पहले ही भेजी जा चुकी है। उक्त वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर भी उपलब्ध है।

26 सितंबर, 2018 को आयोजित 62वीं वार्षिक आम बैठक मद सं. 1 यानी वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं पर विचार करना और स्वीकार करना, के अलावा कार्य सूची की सभी मदों पर विचार करने के पश्चात स्थगित कर दी गयी थी, क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (सीएंडएजी) की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी। चूंकि सी एंड एजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उपर्युक्त कार्य सूची की मद अब स्थगित एजी एम (यहाँ इसके बाद 'एजीएम' के रूप में उल्लेखित) में अब सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है।

1. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर), 2015 के नियम 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियाँ 06 नवंबर, 2018 मंगलवार से 13 नवंबर, 2018 मंगलवार (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजी एम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
2. सदस्यों के पास वार्षिक आम बैठक में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गयी दूरस्थ वोट पर ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोट के अधिकार के इस्तेमाल का विकल्प है। दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि 10 नवंबर, 2018 (पूर्वाह्न 9.00 बजे) आरंभ होगी और 12 नवंबर, 2018 (अपराह्न 5.00 बजे) समाप्त होगी, इसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग एनएसडीएल द्वारा हटा दी जाएगी।
3. ऐसे कोई व्यक्ति जिसका नाम अंतिम तिथि यानी 06 नवंबर 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में या निक्षेपागार द्वारा रखे गए लाभ कारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग करने के हकदार होंगे। ऐसे कोई व्यक्ति जो एजी एम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और उक्त अंतिम तिथि पर शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल के साथ दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का वोट डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
4. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। तथापि, यदि कोई सदस्य, जिसने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान के साथ-साथ मत पत्र के माध्यम से अपना वोट डाला है, तो मत पत्र के माध्यम से किए गए मतदान को नजर अंदाज कर दिया जाएगा।
5. एजीएम में भाग लेने और वोट करने के हकदार सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट डालने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं। ऐसे प्रतिनिधि के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि की नियुक्ति को मान्य और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रतिनिधि नियुक्त करने का विधिवत भरा हुआ, स्टैम्प एवं हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज बैठक के आरंभ होने से अड़तालीस (48) घंटे पहले के कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
6. मतपत्र के माध्यम से एजीएम में मतदान करने की सुविधा बैठक में भाग लेने वाले उन सदस्यों/प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस के भाग के रूप में उपलब्ध दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्देशों को देखें। दूरस्थ ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दे के मामले में, कृपया http://www.evoting.nsdl.com पर सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देखें।
8. दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नोटिस के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त किए हैं और सदस्य बने हैं और अंतिम तिथि पर शेयर रखते हैं, के द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने से संबंधित सभी पत्राचार/प्रश्न/शिकायतें www.evoting.nsdl.com पर सहायता अनुभाग के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQ") और ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे (सहायक प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेडवर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअरपरेल, मुंबई-400013, से ई मेलः evoting@nsdl.co.in टेली:1800222909/91 22 24994200/91 22 24994545 पर संपर्क कर सकते हैं। "वैकल्पिक रूप से, हमारे RTA को ajay@mcsregistrars.com पर या श्री अजय दलाल, वरिष्ठ प्रबंधक को 91-11-41406149-52 पर (पताः एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड यूनिटः स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, एफ-65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली -110020) से संपर्क कर सकते हैं।
9. श्री प्रवीण रस्तोगी, प्रोपराइटर प्रवीण रस्तोगी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग और मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु जाँच कर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
10. प्रस्तावों के परिणाम कंपनी के एजीएम के समापन के 3 दिनों के भीतर घोषित किए जाएँगे। घोषित परिणामों के साथ जाँचकर्ता की रिपोर्ट सदस्यों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर और मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर अपलोड किए जाएँगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किये जाएँगे।
11. जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है किः
    क) अद्यतन बैंक विवरण और साथ ही आर एंड टीएएमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को पैन उपलब्ध कराएँ (फार्म वेबसाइट http://www.stclimited.co.in के इनवेस्टर डैस्क सैक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है) और
    ख) कृपया अपने शेयर 05 दिसंबर, 2018 से पहले डिमैट्रलाइज कर लें।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से और उसके लिए
हस्ता./-
(पंकज कुमार)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.10.2018

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

एससीओ-56, सैक्टर 8, पंचकूला, (हरियाणा) भारत
फोन नं. 0172-5066541, 8558846416,
इमेलः blypan@bankofbaroda.com

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी एवं दस्तावेज प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय 20.11.2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक/उससे पूर्व

प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 की संख्या 54) के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन बैंक को बंधक रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 13 (2) के अधीन बैंक की बकाया देय निम्न वर्णित राशि जमा ब्याज की वसूली हेतु 'जैसा है जहां है तथा जैसी है जो कुछ है के आधार पर' बिक्री करने के अधिकार सहित निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा चूंकि बकाया देय राशि की अदायगी करने में चूक होने पर, अधोहस्ताक्षरी ने कथित संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया देय राशि की वसूली हेतु कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन शक्तियों के निर्वहन में कब्जा ग्रहण किया है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबपोर्टल (https://bob.auctiontiger.net)पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल संपत्ति का विवरण

शाखा एवं खाते का नाम : बैंक ऑफ बड़ौदा, सैक्टर-8, पंचकूला, हरियाणा तथा मै. एंडवांटेज ओरगैनिक नैच्यूरल टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लि.

संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति के स्वामी का नामः	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया देय राशिः	बोली प्रस्तुतीकरण खाते का विवरणः	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशिः	निरीक्षण की तिथिः	ई-नीलामी की तिथि/समयः
श्री राजीव राय सचदेव के नाम पर बिक्री विलेख नं. 6449, दिनांक 29.04.2005 के अनुसार पंजीकृत रिहायशी मकान नं. बी-5, दूसरा तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 रकबा 300 वर्ग यार्ड से युक्त अचल संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्धः पूर्वः प्लॉट नं. 6, पश्चिमः प्लॉट नं. 4, उत्तरः 100 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः सर्विस लेन।	22.03.2018 रु. 14,57,64,199.91/- जमा अदायगी तक ब्याज व अन्य प्रभार।	खाताः 27210200000682 इ-नीलामी इएमडी खाता के नाम से IFSC-BARB0BLYPAN (जहां पांचवा अंक शून्य है)	रु. 2,83,00,000/- रु. 28,30,000/- रु. 50,000/-	16.11.2018	22.11.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक।

नियम एवं शर्तेंः

ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जो है" के आधार पर आयोजित की जाएगी।

1. प्राधिकृत अधिकारी की सूचना एवं जानकारी तक किसी भी संपत्तियों पर कोई भी भार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाता नीलामी की संपत्तियों के शीर्षक एवं दावा/अधिकार/देय/प्रभावी संपत्ति से संबंधित कोई भी पूछताछ अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व स्वतंत्र तौर पर कर सकते हैं। ई-नीलामी विज्ञापन स्थापित नहीं है एवं बैंक के किसी भी वचन अथवा किसी भी प्रस्तुतिकरण को नियुक्त करने हेतु माना नहीं जाएगा। संपत्ति की बिक्री सभी मौजूदा एवं भविष्यकालीन भार सहित, चाहे वह बैंक की जानकारी में है अथवा नहीं, की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूतित ऋणदाता किसी भी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/देय के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेवार नहीं है।
2. यह बोलीदाताओं की जिम्मेवारी है कि वह बोली जमा करवाने से पहले विनिर्देशन एवं परिसंपत्ति के बारे में जांच करे एवं स्वयं को संतुष्ट करें। नीलामी की संपत्तियों का निरीक्षण प्रत्येक वर्णित संपत्ति के अंतर्गत वर्णित स्थल पर इच्छुक बोलीदाताओं को करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वैब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net (यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क https://bob.auctiontiger.net के साथ नाम पंजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।) के माध्यम से अपनी ईएमडी प्रस्तुत कर सकते हैं। ईएमडी निम्नलिखित खाता संख्या में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा अदायगी की जाएगी।
4. बोलीदाता द्वारा वैब पोर्टल में पंजीकरण (एक बार) के पश्चात इच्छुक बोलीदाता/खरीददार को बोली जमा करवाने की अंतिम तिथि से पूर्व वेब पोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों जैसे (i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान अथवा डिमांड ड्राफ्ट की प्रति (ii) पैन कार्ड की प्रति (iii) पहचान/पता प्रमाण (केवाईसी) अर्थात वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की स्वयं सत्यापित प्रति जमा करवानी अनिवार्य है, इसके रहित बोली जमा करवाने पर बोली सीधे तौर पर रद्द कर दी जाएगी। विधिवत भरने एवं हस्ताक्षर करने के पश्चात अनुलग्नक-II एवं III (वैब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net से डाउनलोड कर सकते है) की स्कैन्ड प्रति अपलोड करें। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोली जमा करवाने में सहायता, ई-बोली प्रक्रिया में प्रशिक्षण इत्यादि की आवश्यकता है, मैसर्स इ- प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज़ लि., बी-704-5, वाल स्ट्रीट-II, विप. ओरिएंट क्लब, एनआर. गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा-06351896834, इमेलः haryana@auctiontiger.net., ramprasad@auctiontiger.net, नितिश झा-7982880393, हेल्पलाइन नं. 079-61200595/520/548, हेल्पलाइन इमेल आईडीः support@auctiontiger.net तथा संपत्ति संबंधित किसी अन्य पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी पी एस प्रेमी 8398000957, शाखा प्रमुख सैक्टर-8, पंचकूला, हरियाणा : श्री एस एस वशिष्ठ; मोबाइल नं. 8558846416, इमेल आइडीः blypan@bankofbaroda.com पर सोमवार से शनिवार तक कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते है।
5. इच्छुक बोलीदाता 20.11.2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक अथवा पूर्व (बिंदु संख्या 4 में वर्णित) वांछित दस्तावेजों तथा अपने बोली दस्तावेज (ईएमडी (जो आरक्षित कीमत से कम न हो)) प्रस्तुत करेंगे तथा पंजीकरण प्रक्रिया (एक बार के माध्यम से जाने के पश्चात तथा अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाएंगे, जो ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्रता होगी, जो प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन तथा/अथवा नियत जांच (दस्तावेजों की) का विषय होगी।
6. ऑनलाईन प्रतियोगी बोली के दौरान बोलीदाता "बढ़ाई गई बोली राशिइइ (उक्त वर्णित) अथवा इसके गुणज में अपनी बोली राशि में सुधार कर सकते हैं एवं यदि बोली ई-नीलामी के अंतिम समय के अंतिम पांच मिनटों में दी जाती है, तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा (प्रत्येक समय ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा यह स्वतः बंद हो जाएगा। बोलीदाता जिसने ई-नीलामी प्रक्रिया के अंत में उच्चतम बोली राशि (आरक्षित कीमत से कम न हो) प्रस्तुत की है उसे वांछित जांच के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
7. सफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री विचार हेतु रोक ली जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मूल्य बोली स्वीकृति के पश्चात 24 घंटे के भीतर तत्काल पहले से जमा की गई ईएमडी समायोजन से बिक्री राशि का 25 प्रतिशत जमा करेंगे तथा बिक्री राशि का शेष 75प्रतिशत बिक्री के 15दिनों पर अथवा पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में स्वीकृति/सहमति पर आगे बढ़ाई गई अवधि में जमा करेंगे। यदि सफल बोलीदाता द्वारा अदायगी करने में चूक होगी तो प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त करने योग्य होगी तथा संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा चूककर्ता ऋणी का संपत्ति/राशि जो भी हो, पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
8. भावी सफल बोलीदाता हेतु ई-नीलामी की तिथि से पूर्व मैसर्स इ- प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज़ लि. से ई-नीलामी से ऑनलाईन प्रशिक्षण उपलब्ध है। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक अथवा मैसर्स मैसर्स इ-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज़ लि. किसी इंटरनेट नेटवर्क कठिनाई हेतु जिम्मेदार नहीं होगा तथा इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी गतिविधि में भाग लेने हेतु तकनीकी सुसज्जित होना सुनिश्चित करें।
9. खरीददार लागू स्टैंप डयूटी/अतिरिक्त स्टैंप डयूटी/हस्तांतरण प्रभार शुल्क आदि तथा सभी संवैधानिक/गैर संवैधानिक देय, कर, दर, मूल्यांकन प्रभार शुल्क आदि, किसी अन्य के शुल्क का वहन करेगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को वापस लेने/स्थगित करने/निरस्त करने अथवा किसी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं।
11. बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुतीकरण तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व मेसर्स ऑक्शनटाइगर के वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर उपलब्ध ई-नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्तों के माध्यम से जाने का परामर्श दिया जाता है।
12. प्रकाशन मुख्य प्रभावी खंड के अधीन है।

विशेष निर्देशः

13. बोलीदाता के स्वयं के हित में अंतिम समय में बोली देना अनदेखा किया जाना चाहिए, किसी भी दोष असफल (इंटरनेट असफलता/बिजली असफलता इत्यादि) के लिए न ही बैंक ऑफ बड़ौदा न ही सेवाप्रदाता जिम्मेवार होगा। ऐसी संबंधित स्थिति से बचने के लिए बोलीदाता को सभी अनिवार्य प्रबंध/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति का बैकअप इत्यादि रखने हेतु अनुरोध किया जाता है, ताकि वह ऐसी स्थिति से बच सकें एवं सफल नीलामी में भाग लेने योग्य हों।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटरों को इ-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक ब्याज व अनुषंगी खर्चे की अदायगी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी, बकाया, यदि कोई होगा ब्याज व लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 18.10.2018 स्थानः पंचकूला प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा